



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2023/1305

दिनांक :- 05/10/2023

निमित्त :

श्री वासुदेव अग्रवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल
निवासी :- बंगला नं० 1 व 3,
जे.के. नगर, कोटा (राज०)।

विषय :- खसरा नम्बर 291, 548/291 (507/291 पुराना), 509/291 ग्राम कुन्हाड़ी क्षेत्रफल 14340 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान सम्बन्ध में।

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 26/07/2023 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (10) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं० R-50 कुल भूखण्ड 01 क्षेत्रफल 25935 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें।

- (11) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (12) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (13) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (14) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (15) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान


(मानसिंह)

सचिव

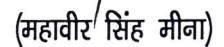
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2023/

दिनांक :- /10/2023

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चितता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


(महावीर सिंह मीना)

वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर विकास न्यास, कोटा

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत
183056	92	वर्गफिट	7596	5	वर्गफिट	1234	5	वर्गफिट
67-96	प्रतिशत		5.00	प्रतिशत		0.81	प्रतिशत	
MT/SWM			सड़क	न	सर्वांगी			
401.2	वर्गफिट		9238.325	वर्गफिट		30336.5	वर्गफिट	
0.26	प्रतिशत		6.08	प्रतिशत		19.97	प्रतिशत	

- (1) पशुधन विकास का नवोन्मुखीकरण: 80 फीट रखा जाये।
- (2) एग्रीकल्चर पॉलिसी-2010 की योजना सुविधिमूलक हो।
- (3) भोजन में नवतन्त्रता 5 प्रतिशत फीट पर पैरु रखा जाये।
- (4) श्रम के परिधान में ए.टी. लार्सन फीट हो, विलडी विमानमाला सुरक्षामुक्त हूरी करी जाये।
- (5) आनेक से योजना के अंतर्गत विचार वास्तु नवोन्मुखीकरण पॉलिसी-2010 के अनुसार लक्ष्यमूलक प्रत्यक्ष करे होये।
- (6) जलसिंचन में नवतन्त्रता एग्रीकल्चर विचार वास्तु करे होये।
- (7) जलसिंचन विचार वास्तु पर प्रकृतिक प.टी/जलसिंचन/3/2009 परत IV सुविधिमूलक 44/1/19 की सुविधिमूलक होये।
- (8) नवोन्मुखीकरण विचार वास्तु के परिधान 10/8/2010 के अनुसार प्रत्यक्ष रखे जाये होये।
- (9) उच्च से-अउट का REKA में परिधान करवा जाये।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

**PROPOSED LAYOUT PLAN FOR RESIDENTIAL
PLOT'S MAP AT GROUP HOUSING PLOT
RIDDHI SIDDHI NAGAR 1st,
VILLAGE-KUNHARI, TEH.-LADPURA,
DIST.-KOTA, PART OF KH.NO.-291
MIN,509/291,OLD - 507/291
NEW - 548/291**

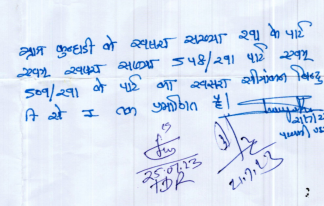
NAME - ADD - SIGN OF OWNER

Vasth. Desh Agrawal *Shr* *Des*
 (Vasudev Agrawal) (Rajendra Agrawal) (Raj Agrawal)
 R/o Bunglow No. 1 and 3
 J. K. Nagar, Kota Rajasthan.

NAME - ADD - SIGN OF ARCHITECT

Shubhaarambh Associates
Ar. Prashant Tayal
Architect, Eng. Cons. Planners
CA/2020/125738
285/158, Sector-26, Pratap
Nagar, Jaipur (Rajasthan) 302033
Mob. 982621761, 9079719070

SCALE	2.3cm=30feet
DRN. BY	Rajdeep
DATE	
JOB/DRG. NO	



S.NO	KHASRA NO	AREA IN HACT.
1.	291	0.6320
2.	509/291	0.7210
3.	OLD - 507/291 NEW - 548/291	0.0584
	TOTAL	1.4114
TOTAL AREA 1.4114 HACT.		

SCALE = 2.3cm = 30feet

**PROPOSED LAYOUT PLAN FOR RESIDENTIAL
PLOT'S MAP AT GROUP HOUSING PLOT RIDDHI SIDDHI NAGAR 1st,
VILLAGE-KUNHARI, TEH.-LADPURA, DIST.-KOTA, PART OF KH.NO.-291
MIN,509/291,OLD - 507/291
NEW - 548/291**